


RBE No.62/2019



PCPO's SI.No.67/2019

No. E/9(G)/O/ECR/HJP

Dated:- 26.04.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर/हरनौत।
7. Sr.DPO/ पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपुर।

विषय : Amendment to the Indian Railway Establishment Manual Volume-I,
Revised Edition 1989 Chapter 9, Running Allowance Rules.


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.E(P&A)II-2016/RS-40 Dated: 18.04.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


(सौरभ सावर्ण)

वकाधि/आई.आर.एण्ड.डब्ल्यू
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.),पू.म.रे/हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई (पी एंड ए)II/2016/आरएस-40

आरबीई सं. 62/2019
नई दिल्ली, दिनांक 18.04.2019

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

शुद्धिपत्र

विषय:- भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, संशोधित संस्करण 1989 अध्याय 9,
रनिंग भत्ता नियमों में संशोधन।

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 20.02.2019 के समसंख्यक पत्र(आरबीई नं.
29/2019) का अवलोकन करें। दिनांक 20.02.2019 के उक्त पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह
सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र की सामग्री को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

“राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1,
संशोधित संस्करण 1989 के नियम 913 (i)(क) में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं०
262 के अनुसार संशोधित किया जाए। इस मुद्दे को एआईआरएफ द्वारा पीएनएम की
बैठक में मद सं.48/2016 के रूप में भी उठाया गया था।”

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन.पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, संशोधित संस्करण 1989 अध्याय 9, रनिंग भत्ता नियमों में संशोधन के लिए अग्रिम शुद्धि पच्ची.

अग्रिम शुद्धि पच्ची सं. 2.62

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, संशोधित संस्करण 1989 के नियम 913 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:-

नियम 913 (i)(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"जब रनिंग कर्मचारियों को 30 दिन या उससे कम के लिए किसी "रनिंग पद" पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया जाता है तो वे निम्नतर ग्रेड में यथा अनुज्ञेय वेतन और 15 प्रतिशत की वृद्धि सहित उस उच्चतर ग्रेड, जिसमें वे उच्चतर ग्रेड में लागू दरों और शर्तों पर रनिंग भत्ते के हकदार होंगे (सिवाय दूसरे फायर मैन को स्थानापन्न रूप में प्रथम फायर मैन तैनात किए जाने पर और इंजन क्लीनर को स्थानापन्न रूप में दूसरे फायर मैन के रूप में तैनात किए जाने पर, जिनके लिए यह वृद्धि प्रत्येक ऐसे उच्चतर ग्रेड के लिए वास्तविक किलोमीटर भत्ते का 30 प्रतिशत होगी)."

(प्राधिकार बोर्ड का पत्र सं. ई(पी एंड ए) II-2018/आरएस-40 दिनांक 20.02.2019)